

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : अपारम्परिक ऊर्जा स्ट्रोत

प्रश्न संख्या तारांकित : 3224

उत्तर की तिथि : 17—09—2020

विषय : सौर ऊर्जा को बढ़ावा

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी):

सम्बन्धित मंत्री : बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री

	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिमला स्थित सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का निर्णय लिया गया था; और	(क) व (ख) : सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों में दिनांक 31.7.2020 तक कितने सरकारी कार्यालयों की छतों पर यह पैनल स्थापित किए गए व कितने परिचालित किए गए तथा शेष कार्यालयों की छतों पर कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे; और विभागवार दे ?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या—3224 के भाग (क) व (ख) से सम्बन्धित सूचना, जो सभा पटल पर रखी गई है:

- (क) जी, हाँ।
- (ख) गत 3 वर्षों में दिनांक 31-7-2020 तक शिमला के 66 सरकारी कार्यालयों की छतों पर 2500 KW क्षमता के सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 55 सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल तथा Bi-directional meter लगाने का कार्य परिचालित किया जा चुका है तथा शेष 11 सरकारी कार्यालयों की छतों पर भी सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किये जा चुके हैं परन्तु इन पर अभी Bi-directional meter लगाने शेष हैं, जिनको लगवाने की ज़िम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय की होती है। विभागवार ब्यौरा अनुलग्नक—"क" पर है।

अनुलग्नक—“क”

शिमला स्थित सरकारी कार्यालयों का विभागवार द्वौरा जिनकी छतों पर सौर ऊर्जा
पैनल दिनांक 31–07–2020 तक लगाए जा चुके हैं।

क्रम सं०	विभाग	क्षमता	परिचालित हाँ / नहीं
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	500 किलोवाट	हाँ
2.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, तारादेवी	90 किलोवाट	हाँ
3.	दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल	60 किलोवाट	हाँ
4.	मिल्कफैड, टुटू	52 किलोवाट	हाँ
5.	पंचायती राज विभाग	5 किलोवाट	हाँ
6.	आबकारी एवं कराधान विभाग	5 किलोवाट	हाँ
7.	आयुर्वेदा	10 किलोवाट	हाँ
8.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	10 किलोवाट	हाँ
9.	स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, परिमहल	10 किलोवाट	हाँ
10.	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	10 किलोवाट	हाँ
11.	अर्थ एवं सांख्यकी विभाग	20 किलोवाट	हाँ
12.	हिमऊर्जा	10 किलोवाट	हाँ
13.	हिमुडा	10 किलोवाट	हाँ
14.	निदेशक, भू— अभिलेख	29.44 किलोवाट	हाँ
15.	शहरी एवं ग्रामीण योजना विभाग	15 किलोवाट	हाँ
16.	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग	10 किलोवाट	हाँ
17.	नागरिक आपूर्ति निगम	10 किलोवाट	हाँ
18.	हिमफैड	10 किलोवाट	हाँ
19.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	15 किलोवाट	हाँ

20.	राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, पोर्टमोर	20 किलोवाट	हाँ
21.	हिमरस भवन, हिमलैंड	20 किलोवाट	हाँ
22.	ऊन संगठन	10 किलोवाट	हाँ
23.	सहकारिता विभाग	19.84 किलोवाट	हाँ
24.	सतर्कता विभाग, खलीणी	19.84 किलोवाट	हाँ
25.	जल भवन कसुम्पटी	19.84 किलोवाट	हाँ
26.	भाषा एवं संस्कृति विभाग	19.84 किलोवाट	हाँ
27.	कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, समरहिल	20 किलोवाट	हाँ
28.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लालपानी	5 किलोवाट	हाँ
29.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, फागली	10 किलोवाट	हाँ
30.	निदेशक परिवहन विभाग	10 किलोवाट	हाँ
31.	पशुपालन विभाग, बालूगंज	50 किलोवाट	हाँ
32.	बाल आश्रम टूटीकण्डी	19.84 किलोवाट	हाँ
33.	बाल आश्रम ढली	19.84 किलोवाट	हाँ
34.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, ढली लोकल	29.44 किलोवाट	हाँ
35.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, ढली ग्रामीण	16.64 किलोवाट	हाँ
36.	होटल होलिडे होम	19.84 किलोवाट	हाँ
37.	हिप्रो राज्य सहकारी बैंक, दि मॉल शिमला	10 किलोवाट	हाँ
38.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, लौंगवुड	19.84 किलोवाट	हाँ
39.	हिप्रो, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, निगम विहार	45.92 किलोवाट	हाँ
40.	सूचना एवं प्रोटोग्राफिकी विभाग	19.84 किलोवाट	हाँ

41.	सी0 आई0 डी0 कार्यालय	10 किलोवाट	हाँ
42.	राज्य अतिथि गृह	15 किलोवाट	हाँ
43.	पीटर हॉफ, चौड़ा मैदान	50 किलोवाट	हाँ
44.	शिक्षा निदेशालय, लालपानी	50 किलोवाट	हाँ
45.	वन विभाग, टालैण्ड	50 किलोवाट	हाँ
46.	पुलिस महानिदेशालय, निगम विहार शिमला	20 किलोवाट	हाँ
47.	दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला	5 किलोवाट	हाँ
48.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, छोटा शिमला	15 किलोवाट	हाँ
49.	हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग	10 किलोवाट	हाँ
50.	आयुर्वेदा अस्पताल	30 किलोवाट	हाँ
51.	स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, परिमहल	50 किलोवाट	हाँ
52.	पंचायत भवन शिमला	15 किलोवाट	हाँ
53.	निदेशालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	15 किलोवाट	हाँ
54.	कैथू कारागार	18 किलोवाट	हाँ
55.	बागवानी विभाग	75 किलोवाट	हाँ
56.	मुद्रण एवं लेखन विभाग	300 किलोवाट	150 हाँ / 150 पर नहीं
57.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम, शिमला	60 किलोवाट	50 हाँ / 10 पर नहीं
58.	इंदिरा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय	50 किलोवाट	नहीं
59.	उपायुक्त कार्यालय शिमला	90 किलोवाट	नहीं
60.	नया राज्य आगन्तुक गृह	50 किलोवाट	नहीं
61.	हिं प्र० विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रोद्यौगिकी परिषद्, हिमकोस्ट, कसुम्पटी. शिमला—9	10 किलोवाट	नहीं
62.	जिला न्यायालय, चक्कर	100 किलोवाट	नहीं

63.	कृषि निदेशालय, बालूगंज	70 किलोवाट	नहीं
64.	नगर निगम, सामुदायिक केन्द्र, न्यू शिमला	10 किलोवाट	नहीं
65.	नगर निगम, सामुदायिक केन्द्र, कृष्णा नगर	10 किलोवाट	नहीं
66.	नगर निगम, सामुदायिक केन्द्र, ढली	15 किलोवाट	नहीं
कुल क्षमता =		2500 किलोवाट	
